

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व प्रकरण संख्या : - 162/2016

उनवान

देवा पुत्र हजारी जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद

-- वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी राजू,
2. लेखराज,
3. मोहन,
4. गणपत,
5. इन्द्रा पि० राजू,
5. मंजू पुत्री नानू जाति रेगर नि० बनेवडा, नसीराबाद,
6. उप पंजीयक नसीराबाद,
7. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादी :- 8 व 9 जरियें राज० पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 1 से 7



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955 सपटित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के वंकिंग खसरा नम्बर 945 रकबा 0-10-0 हाल खसरा नम्बर 1583/2772 के खातेदार राजू पुत्र मांगू जाति रेगर ने उक्त आराजी में अपना हिस्सा व नानू की विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण हिस्सा देवा पुत्र हजारी को दिनांक 09.07.22 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया क्य दिनांक से ही उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 बने है। आराजी मुतनाजा वंकिंग व हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद तामीली प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज० पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज० पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

आराजी मुतनाजा वंकिंग खसरा नम्बर 945 रकबा 0-14-0 नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 21.6.85 को नानू व राजू पि० मांगू के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुआ। तथा नामान्तकरण संख्या 85/26.8.98 से खातेदारी दर्ज हुयी। दिनांक 9.7.02 को राजू पुत्र मांगू ने उक्त आराजी में 0-10-0 भूमि का सम्पूर्ण हिस्से वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर दिया। उक्त विक्रय पत्र में राजू ने नानू के स्वर्गवास के बाद विरासत से प्राप्त उसका हिस्सा भी बैचान किया है। वंकिंग खसरा नम्बर 945 के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रकबा 0.11 नानू व राजू पि० मांगू के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी में नानू की विरासत नामान्तकरण संख्या 572 दिनांक 15.6.16 द्वारा प्रेम पत्नी नानू व मंजू पुत्री नानू के नाम दर्ज की गयी। इससे स्पष्ट है कि नानू का वारिस उसका भाई राजू नहीं था। फिर भी उसके द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का बैचान किया गया जबकि राजू का उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा ही बनता है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज० पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। वादी आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से का विधिक क्रेता सिद्ध होता है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा वादी ने कय किया था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज है। जबकि विक्रय पत्र अनुसार राजू का हिस्सा वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। क्रेता ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया था। विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर विक्रय पत्र


Handwritten signature

उपरोक्त जवाब
कयशुदा (पत्रावली)

//3//

अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



उनवान

देवा बनाम रामेश्वरी


दावा बाबत :- 88, 188राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 162/2016

पेश करने की दिनांक - 29.09.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक, राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-


उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर विक्रय पत्र अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद